1४८

महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0: 0522–2337453
सीयूजी : 9454400167
Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पत्रांकःपीएसी–1–152(2)–2024/2467
दिनांकः सितम्बर 07 ,2024

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ0प्र0 के पत्र संख्या:दस-395/2022(अधियाचन) दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआरपीबी-तीन-5(01)/2024 दिनांक 16.08.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2024 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 500 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह अगस्त 2024 की 35 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस /बिगुलर/डी0आर0 को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क0 सं0	वरिष्ठता कमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	274	030720826	अभिमन्यु यादव	श्री शिवनाथ यादव	सुरक्षा विभाग	2024
2	275	030480357	अशोक कुमार पाल	मुराली पाल	अमेठी	2024
3	276	030590289	सुनील कुमार	श्री कैलाश चन्द्र	कानपुर नगर कमिश्नरेट	2024
4	277	030770078	रिजवान खान	इमरान खान	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
5	278	030501414	दिग्विजय कुमार पाण्डेय	बदनजी पाण्डेय	गोरखपुर	2024
6	279	030541421	राजकुमार	दिवान सिंह	23वीं मुरादाबाद	2024
7	281	030710997	अजय सिंह	श्री चन्दर सिंह	बदायूँ	2024
8	284	030481448	नरेन्द्र सिंह	श्री चुन्नी सिंह	09वीं मुरादाबाद	2024
9	285	030481549	अमित सिंह राणा	छेदा सिंह राणा	अमरोहा	2024
10	286	030530401	धर्मेन्द्र कुमार राम	विश्वनाथ राम	मीरजापुर	2024
11	287	030481477	लाखन सिंह	नाराणन सिंह	शाहजहाँपुर	2024
12	288	030670466	सन्तोष कुमार सरोज	बद्री प्रसाद सरोज	12वी फतेहपुर	2024
13	289	030551389	पूरन सिंह	प्रयाग सिंह	अमरोहा	2024
14	290	030541476	उमेश सिंह	ओमप्रकाश	23वीं मुरादाबाद	2024
15	291	030670482	मुनीष सिंह राणा	बेचे सिंह	अमरोहा	2024
16	292	030481507	मनोज कुमार	श्री रामय सिंह	कमि0 गौतमबुद्धनगर	2024
17	295	046700012	पवन कुमार	ठाकुर दीन	37वी कानपुर	2024
18	296	040520054	जितेन्द्र सिंह	स्व0 श्री लाला राम	पीलीभीत	2024

19	298	**040560696**	भूप प्रसाद	अमृत लाल	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
20	299	**040560856**	राजू कुमार	चन्द्र बली प्रसाद	रायबरेली	2024
21	300	**040560957**	रावेन्द्र कुमार	श्री छोटेलाल	अलीगढ	2024
22	301	**040560410**	राम निवास सिंह यादव	राम मूरत सिंह यादव	25वीं रायबरेली	2024
23	305	**040650092**	जयप्रकाश सिंह यादव	रमाशंकर सिंह यादव	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
24	307	**040490579**	रामलखन	राजधारी यादव	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
25	308	**040560742**	सुरेश कुमार चौधरी	श्री राम सागर चौधरी	सुरक्षा विभाग	2024
26	310	**040561602**	रवीन्द्र कुमार आदिवासी	श्रीकान्त आदिवासी	25वीं रायबरेली	2024
27	311	**040560364**	सन्तोष कुमार यादव	श्री मुखदेव यादव	ए0पी0टी0एस मीरजापुर	2024
28	312	**040750574**	राज बहादुर	श्री जयराम सिंह	रामपुर	2024
29	314	**040750662**	मो0 रियाज	जलालुदीन खाँ	45वीं अलीगढ़	2024
30	315	**040750213**	कविन्द्र कुमार	श्री सुभाष सिंह	बिजनौर	2024
31	321	**040690126**	मनोज कुमार	पलटू राम	39वीं मीरजापुर	2024
32	322	**040470434**	सददाम हुसैन	श्री वली अहमद	बरेली	2024
33	323	**040470115**	प्रदीप कुमार	महावीर सिंह	08वीं बरेली	2024
34	324	**040750691**	बलराम सिंह	नत्थी लाल	45वीं अलीगढ़	2024
35	325	**040750268**	सतीश चन्द्र	श्री धुरेन्द्र सिह	हाथरस	2024

2- उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेगें। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3- पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा- पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/ सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के

पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/ जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक: घोषणा-पत्र

3/9

(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज।
2- समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।
4- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ।
5- पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ।
6- पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7- सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ।
8- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ।
9- पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।
10- पुलिस अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद।
11- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर।
12- पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
13- पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश।
4- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश।
6- समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश।

प्रारूप- ''क''

स्वघोषणा-पत्र

मैं...(नाम/पदनाम व पीएनओ)................
पुत्र..................... ....निवासी .... थाना........................
जनपद................. ....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम) ....
नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र .... का आरक्षी हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:-

(क) ''मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।''

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/ दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली'1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/ दिनांक तथा कारण ....

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई .... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को आरोप-पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0...................................धारा..........................थाना .... जनपद.................................... में लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी .... द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान मे .... स्तर पर चल रहा है।

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।